राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

कैम्प बानसेन

दिनांक : 23–06–2017

प्रकरण संख्या –06 / 2017

उनवान

1 प्रथी पुत्री नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
2 लेहरी पुत्री नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर

.... अपीलार्थीगण

|| बनाम ||

1 दाखी पुत्री नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
2 भगवानलाल पिता नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
3 बद्री पिता नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
4 नारायणी पत्नि नन्दा जी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर
5 श्रीमान तहसीलदार सा0 तहसील भदेसर
6 श्रीमान सरपंच सा0 ग्राम पंचायत बानसेन

.... रेस्पोडेण्डस्

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 273 दिनांक 23.09.2003 ग्राम पंचायत बानसेन

उपस्थित – श्री ओंकारलाल रायका वकील अपीलार्थी

अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुरा के नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 15–6–1989 पर पारीत निर्णय से असन्तुष्ठ होकर अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई कि –

1. यह की वाके मौजा लक्ष्मीपुरा प0 ह0 बानसेन तह0 भदेसर में खाता सं0 64 जिसके आराजी नं. निम्न प्रकार हैं।

आराजी सं0	रकबा / है0	लगान रूपये
302	0.16	4.32
303	0.64	17.28
304	0.10	[illegible]
305	0.44	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

23.6.17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

306	0.55	14.85
307	0.15	4.05
308	0.37	7.77
309	0.01	00
310	1.19	40.11
311	0.05	0.20
312	0.28	5.88
313	0.28	5.88
314	0.28	5.88
315	0.28	5.88
316	0.02	00
कुल किता 15	कुल रकबा 5.52 है0	कुल लगानी 123.98

साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 पैश है।

2. यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पारीवारीक सजरा निम्न प्रकार पैश है।

नन्दा

- भागीरथ.... — ला औलाद फोत
- भगवान... — पुत्र
- बद्रीलाल.... — पुत्र
- पृथी.... — पुत्री
- लेहरी... — पुत्री
- दाखी.... — पुत्री
- नारायणी — पत्नि

3. यह कि अपीलान्ट भागीरथ पिता नन्दा जाती गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 भदेसर की जांयदा औलाद नही होने के कारण उसकी सारी सम्पत्ति नन्दा की जांयदा सारी संतानो में विभाजित होनी चाहीये थी एवं भागीरथ की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण भागीरथ के सभी भाई बहिनो व माता के नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही होनी चाहिये थी, जब कि अधिनरथ पटवार हल्का एवं ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा विरासत से नामान्तरण संख्या 273 दिनांक 23.09.2003 द्वारा नामान्तरण रेसपोडेन्ट संख्या 2 व 4 के नाम पर खोला जाकर फैसल कर दिया गया जब कि अपीलान्टगण न।दा की जायदा पुत्रीया होकर उनके नाम पर नामान्तरण नही खोला गया जब कि उक्त विरासत से नामान्तरण अपीलान्ट संख्या 1 से 2 व रेसपोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम पर खोला जाना चाहीये था इस कारण उक्त नामान्तरण अपीलान्ट के हक अधिकारो के मुकाबले शून्य व निरस्त योग्य है।

4. यह की उक्त आराजियात पुश्तैनी होकर अपीलान्टगण नन्दा की जांयदा पुत्रीया है जिस कारण उक्त आराजियात में हक अधिकार अपीलान्ट का भी है अपीलान्ट का जन्म से ही उक्त आराजियात में हक व अधिकार होने के कारण उक्त नामान्तरण निरस्त करवा कर अपीलान्ट अपना नाम भी खाते में अंकित करवाने का अधिकारी है।

5. यह कि अधिनरथ न्यायालय द्वारा नामान्तरण खोलते समय बिना जानकारी किये अपनी मन मर्जी से नामान्तरण रेसपोडेन्ट सं0 2 से 4 के नाम पर खोल दिया जो कि गलत खोला गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को जानकारी पूर्व में नही थी अभी हाल ही में दीनांक 30.01.2017 को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने के बाद जानकारी में आया जानकारी में होते ही अपीलान्अ ने रेसपोडेन्ट से कहा कि वो अपीलान्ट को भी हक राजस्व रेकार्ड में अंकित करावे तो रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

23.6.17
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

इन्कार हो गये और अपीलान्ट का वाद ग्रस्त आराजियात में हक हिस्सा मानने से इन्कार कर दिया इसलिए अपीलान्ट को अपील पेश करनी पड रही है। तथा इसे निर्धारित अवधी में पेश नहीं कर पाने का कारण उचित व सदभावी रहा है जिसे क्षम्य फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधी शुमार की जाना न्यायोचित है जिसके लिए प्रथक से आवेदन पत्र धारा 05 मियाद अवधी पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 23-09-2003 निरस्त कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस अर्थात अपीलान्ट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम पर नामान्तरकरण खोला जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया बरोज पेशी रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता जाहिद रजा ने उपस्थिती दी । प्रकरण को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प- ग्राम पंचायत बानसेन पर राजीनामा की भावना से निस्तारण किये जाने हेतु पक्षकारान् को सूचना पत्र से तलब किया । बरोज राजस्व लोक अदालत केम्प दिनांक 23-06-2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 , 3, 4, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किए जाने के आदेश पारीत किये गये । रेस्पोडेन्टस संख्या 5 व उपस्थित जिन्होनें अपील के खण्डन में किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया । अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि हम रेस्पोडन्ट अपीलान्ट सभी नन्दा के वारीसान होकर हमारे एक भाई भागीरथ और था जिसकी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एवं वर्तमान में हम दो भाई भगवानलाल व बद्रीलाल तथा तीन बहने प्रथी, लेहरी व दाखी एवं हमारी माता नाराणीबाई विधिक वारीसान जीवित है इनके अलावा नन्दा जी के और कोई विधिक वारीसान नहीं है और उनकी सम्पत्ति में हम छः का समान अधिकार बनता हे लेकिन राजस्व रेकार्ड में तीनों बहनों का नाम अंकित नहीं है इस कारण मैं रेस्पोडेन्ट भगवानलाल बहनों द्वारा की गई अपील के तथ्य सही होने से स्वीकार करते हुए इस प्रकरण का लोक अदालत की भावना से आज ही निस्तारण करवाना चाहता हूँ ।

2. यह कि हम पक्षकार आज लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा कर उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं जिसमें मुझ रेस्पोडेन्ट भगवानलाल को उक्त प्रकरण के जरिये हमारी पुश्तैनी आराजीयात में मेरी बहनों का उनके हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हम पूर्ण रूप से सहमत है ।

3. यह कि राजीनामा आज राजस्व लोक अदालत केम्प बानसेन में अपनी मर्जी से लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर अपनी बहनों को उनका हिस्सा लेने पर पूर्ण सहमती देता हू ।

4. यह कि उक्त राजीनामा बिना किसी डर दबाव प्रलोभन के मैं अपनी मर्जी से कर रहा हू ।

अतःराजीनामा स्वीकार कर उक्त अपील प्रकरण स्वीकार कर हम सभी नन्दा जी के विधिक वारीसान भगवानलाल व बद्रीलाल [illegible] बहने प्रथी, लेहरी व दाखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

23.6.17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

एवं हमारी माता नाराणी बाई का राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर प्रकरण का आज ही लोक अदालत मे निस्तारण फरमाया जावे ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बानसेन द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण पर निर्णय पारीत करते समय अपीलार्थी को सूचित नही किया गया न ही मृतक नन्दा के विधिक वारिसान की जांच पडताल की गई है । ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर ग्राम पंचायत न्याय का एक सशक्त माध्यम होता है किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मृतक नन्दा के विधिक वारीसान में भागीरथ, भगवाना, बद्रीलाल एवं नारायणी के नाम पर नामान्तरकरण खोला जाकर निर्णीत किया गया है जबकि मृतक नन्दा के विधिक वारीसान तीन पुत्रियां अपीलार्थी संख्या 1 व 2 तथा रेसपोडेन्ट संख्या 1 का नाम नहीं जोडा जाने की भूल की गई है । कालान्तर में नन्दा के वारीच भागीरथ की लाऔलाद फौत हो जाने नन्दा के कुल 6 विधिक वारीसान में 2 पुत्र भगवाना, बद्रीलाल 3 पुत्रीयां प्रर्थी लहरी दाखी एवं बेवा–नारायणी शेष रहने से नन्दा की सम्पत्ति में सभी का बराबर–बराबर हिस्सा बनता है । इस संदर्भ में पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया है तथा अपील का अन्तिम रूप से निराकरण भी चाहा गया है । अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हरब राजीनामा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा मौजा लक्ष्मीपुरा के नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 23–09–2003 पर पारीत ग्राम पंचायत बानसेन का निर्णय अपास्त किया जाता है । चूंकि राजीनामा में प्रस्तुत अभिवचनों से न्यायालय बाहर नहीं जा सकता है इसलिए सिविल प्रक्रिया संहित 1908 की धारा 107 (1) क में प्रद्वत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक नन्दा के खातेदारी में दर्ज मौजा लक्ष्मीपुरा आराजी नम्बर 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ,316, किता–15 कुल रकबा 5.52 हैक्टैयर में मृतक नन्दा की विरासत उसके विधिक वारीसान पुत्र भगवाना, बद्रीलाल एवं पुत्रीयां प्रर्थी लेहरी दाखी एवं बेवा–नारायणी का समान हक हिस्सा रखते हुए पुनः नामान्तरकरण [illegible] अमल दरामद किया जावे यदि किसी पक्षकार द्वारा अपना हक हिस्से में से [illegible] का [illegible]न्तरण किया गया हो तो उक्तानुसार विक्रेता के हिस्से में से उस [illegible] की जाकर क्रेता का नाम भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

23.6.17
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

दर्ज किया जावे तथा लाऔलाद फोत मृतक भागीरथ का हिस्सा नन्दा के उक्त जिवित विधिक वारीसान मे समायोजित कर दिया जाने का आदेश दिया जाता है । देरी से प्रस्तुत अपील अवधि कन्डोन की जाती है । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमे आम में सुनाया गया ।

23.6.17

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner